उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू एवं उसके उत्पादों से छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोके जाने के लिये अपने जनपद के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को उपर्युक्त से अवगत करायें तथा निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
27.12.17
डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या: शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शि0)/ /2017–18, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
2– अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।
3– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर।
पत्रांक: 10244 /2017-18 दिनांक- 3/1/18

समस्त,
खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर
सुलतानपुर।

उपरोक्त के क्रम में सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के मुख्य गेट पर वॉल पेंटिंग तथा प्रत्येक विद्यालय के 100 गज की परिधि में तम्बाकू विक्रय प्रतिबन्धित कर इस अपराध हेतु 200 तक के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

अत: तम्बाकू निषेध कमेटी का गठन प्रत्येक विद्यालय में करके तम्बाकू एवं उसके विभिन्न उत्पादों के निषेध पर चर्चा परिचर्चा कर प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

3/1/18
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर।